

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राजस्थान सहकारी अधिनियम 1965 की धारा (6) 1 के अन्तर्गत सर्व श्रीमंति लहरो - उन्धवा, श्रीमंति अर्कटकर - उपा - श्रीमंति सुगंजी - कोषाधर तथा अन्य रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र का रजिस्ट्रेशन ~~मंदिरी~~ सहकारी समिति लि० ~~लूणा कला~~ पंचायत समिति ~~अर्कट~~ पोस्ट ग्राम ~~लूणा कला~~ जिला जैसलमेर के नाम से स्वीकृत किया गया तथा उपरोक्त सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन आज दिनांक 31-3-2001 को क्रमांक 447 / एम. पर उपरोक्त अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत ऐसी शर्तों के साथ जिनका वर्णन आवेदन-पत्र में है और उक्त अधिनियम उसके अन्तर्गत जारी किये गये आदेश और समिति के उ-नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन किया गया।

यह रजिस्ट्रेशन प्रमाण - पत्र मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित आज दिनांक 31-3-2001 को जारी किया गया।




सहायक रजिस्ट्रार
सहकारी समितियां
जैसलमेर